**शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध**
**संख्या-25/2020/बी-2-130/दस-2020-आर-2/2016टी.सी.**

प्रेषक,

आलोक दीक्षित,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव,
श्री राज्यपाल।
3. प्रमुख सचिव,
विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 10 जुलाई, 2020

विषयः वित्तीय वर्ष 2019-2020 के चतुर्थ त्रैमास (माह जनवरी, 2020 से मार्च, 2020) के प्राप्ति एवं व्यय के आँकड़ों के लेखा मिलान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक वित्त विभाग के पत्र संख्या-23/2020/बी-2-102/दस-2020-आर-2/2016टी.सी. , दिनांक-29 मई, 2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-2020 के चतुर्थ त्रैमास (माह जनवरी, 2020 से मार्च, 2020) के प्राप्ति एवं व्यय के आकड़ों के लेखा मिलान दिनांक 03 जुलाई, 2020 से दिनांक 15 जुलाई, 2020 तक कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2- उक्त के क्रम में कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ0प्र0 इलाहाबाद के पत्र संख्या-लेखा मिलान (प्रकोष्ठ)/62/17493, दिनांक 08.07.2020 द्वारा अवगत कराया गया है कि कोरोना महामारी में आवागमन के पर्याप्त साधन उपलब्ध न होने के कारण नियंत्रक अधिकारियों के मिलान प्रतिनिधियों को मिलान कराने में असुविधा हो रही है। अतः कार्यालय महालेखाकार द्वारा समस्त नियंत्रक अधिकारियों को इस आशय से निर्देशित करने का अनुरोध किया गया है कि वह उनके द्वारा पत्र में उल्लिलिखित ई-मेल अथवा फैक्स नम्बर पर अपने विवरण सीधे महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित करें, ताकि लेखे का मिलान निर्धारित समय सीमा के अन्दर सुनिश्चित किया जा सके।

3- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-2020 के चतुर्थ त्रैमास (माह जनवरी, 2020 से मार्च, 2020) के लेखों का मिलान कराने हेतु अपने नियंत्रणाधीन नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देश देने का कष्ट करें कि कार्यालय महालेखाकार द्वारा उपलब्ध कराये गये निम्नलिखित ई-मेल अथवा फैक्स नम्बर पर अपने विवरण सीधे महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित करें, ताकि लेखे का मिलान निर्धारित समय सीमा के अन्दर सुनिश्चित किया जा सकेः-

ई-मेल-agaeuttarpradesh1@cag.gov.in
फैक्स नम्बर-1. 0532-2420880 (राजकोष प्रकोष्ठ)।
2. 0532-24221987 (मिलान प्रकोष्ठ)।

भवदीय,

(आलोक दीक्षित )
विशेष सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-25/2020/बी-2-128/दस-2020-आर-2/2016टी.सी., तददिनांक-

प्रतिलिपि वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखा मिलान(प्रकोष्ठ), कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को उनके उक्त पत्र दिनांक 08.07.2020 के क्रम में सूचनार्थ।

आज्ञा से,

(आलोक दीक्षित )
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।